रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-71 REGISTERED No. D (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 1986/श्रावण 23, 1908
No. 177] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 1986/SRAVANA 23, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1986

अधिसूचना

सं. 11/3/81—बी.ए.बी./डी.बी.ए—2 :—भारत सरकार एतद्द्वारा औद्योगिक विकास मंत्रालय की दिनांक 23 जुलाई, 1971 की अधिसूचना सं. 6(26)/71 आई.सी. में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

पैरा 6(11) के पिछले वाक्य के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"हिमाचल प्रदेश राज्य में परवानू में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. के स्टाकयार्ड से औद्योगिक एककों के स्थापना स्थल तक इस्पात को लाने ले जाने के लिए परिवहन राजसहायता में परिवहन प्रभार भी शामिल होंगे।"

जी. वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 28th July, 1986

... NOTIFICATION

No. 11|3|81-BAD|DBA-II.—The Government of India hereby makes the following further amendment in the Ministry of Industrial Development's Notification No. 6(26)|71-IC dated the 23rd July, 1971, namely :—

After the existing last sentence of para 6(xi), the following shall be added :—

"Transport subsidy would also cover the transport charges for movement of steel from the SAIL's Stockyard at Parwanoo upto the location of the industrial units in the State of Himachal Pradesh."

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 1986/श्रावण 29, 1908
No. 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 1986/SRAVANA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नियति व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 15-ई टी सी (पी एन)/86

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1986

विषय : मोर की पूंछ के पंख और वस्तुओं/मोर की पूंछ के पंखों से निर्मित हस्तशिल्पों का निर्यात—इसकी नीति।

फाइल सं. 30(6)/86-ई-2 : उपर्युक्त विषय पर आयात एवं निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-2) के नीति विवरण की क्रम सं. 4(घ) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि मोर की पूंछ के पंख और वस्तुएं/उनसे विनिर्मित हस्त-शिल्पों का निर्यात अपरिवर्तनीय साख पत्र के अतिरिक्त अग्रिम भुगतान के मद्दे भी अनुमत किया जाए।

3. तदनुसार, आयात एवं निर्यात नीति पुस्तक 1985-88 (खण्ड-2) के पृष्ठ-9 पर नीति विवरण की क्रम सं. 4(घ) के सामने कालम-3 में दी गई वर्तमान शर्त सं. (3) को नीचे दिए गए अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :—

"(3) निर्यात अपरिवर्तनीय साख पत्र या विशिष्ट निर्यात आदेश के मद्दे 100% जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की पूरा करते हुए भारत के अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति किया जाएगा।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 15-ETC (PN)/86

New Delhi, the 20th August, 1986

Subject :—Export of Peacock Tail Feathers and articles/ Handicrafts made of Peacock Tail Feathers—Policy thereof.

File No. 30(6)/86-E II .—Attention is invited to S. No. 4(d) of the Policy Statement of the Import and Export Policy Book 1985-88 (Vol. II) on the above subject.

2. It has been decided to allow the export of Peacock Tail Feathers and articles/handicrafts manufactured therefrom against advance payment also in addition to Irrevocable Letter of Credit.

3. Accordingly, the existing condition No. (iii) appearing in col. 3, against S. No. 4(d) of the Policy Statement at page 9 of the Import and Export Policy Book 1985-88 (Vol.II) shall be amended to read as follows :—

"(iii)—Export shall be allowed against Irrevocable Letter of Credit or on production of a Bank Certificate by a Scheduled Bank in India covering 100% FOB value against specific export order".

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986